न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 93/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/112

1. ग्राम सरपंच माणकसर पुष्पा देवी पत्नि प्रभूदयाल जाति नायक साकिन माणकसर, तहसील सूरतगढ़।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी चक 6 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. जीवणराम पुत्र लाखाराम जाति चमार जरिये मुख्त्यारआम जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन अमरपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक
अनुपस्थितः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः 21.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.01.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम रोही मानकसर के खसरा नंबर 242 तादादी 1.354 हैक्टेयर बारानी भूमि हैं, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जीवणराम पुत्र लाखाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जीवणराम के लाऔलादा फौत हो जाने पर ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि आराजीराज हो जाने के कारण राजसात किये जाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 05.1.2013 को पारित कर दिया, जिसका इंतकाल संख्या 154 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बैयनामा दिनांक 18.07.2014 पेश कर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.08.2014 को प्रस्ताव पारित करते हुए निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रमाणित किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2017 पारित कर दिया व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश 27.01.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की।

2– अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम तथा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

3– अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपनी लिखित बहस, अन्य दस्तावेज व न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि अपीलाधीन भूमि ग्राम रोही मानकसर के खसरा नंबर 242 तादादी 1.354 हैक्टेयर बारानी भूमि जीवणराम चमार के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। जीवणराम गत 70 वर्षों से ग्राम मानकसर में नहीं रह रहा है। जीवणराम कुंवारा व लाऔलाद था। अपीलाधीन भूमि लावारिस होने के कारण जरिये इंतकाल नंबर 154 राजसात दर्ज हो चुकी थी। अपीलाधीन भूमि कीमती होने पर भू–माफियाओं ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा था तथा पंजाब फाजिल्का से एक फर्जी मुख्त्यारनमा नोटेरी से तस्दीक करवाकर उक्त भूमि का बैयनामा करवा लिया। बैयनामा सन् 1998 का है। क्रेता व विक्रेता दोनों के विरूद्ध अपीलांट ने एफ.आई.आर. करवा रखी हैं, प्रकरण अभी भी जैरकार है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बैयनामा दिनांक 18.07.2014 पेश कर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.08.2014 को निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष अपील पेश की, जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनाया। ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त है, न की अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में नियत पेशी दिनांक 09.02.2017 से पूर्व ही पेशी में लेकर दिनांक 27.01.2017 को ग्राप पंचायत के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पक्षकारों के मध्य

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मिलान किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजीनामा हो गया है व अपील स्वीकार कर दी जावे, जो कि गलत था। कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया। वकील ग्राम पंचायत के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। अपील में अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भी प्राप्त नही था, जो आवश्यक था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2017 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये है–

- आर.आर.डी. दिनांक 14.08.2019 पेज संख्या 510
- आर.आर.डी. 1993 पेज संख्या 28
- आर.आर.डी. दिनांक 14.10.2010 पेज संख्या 614
- आर.आर.डी. 1997 पेज संख्या 127

4– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.07.2022 द्वारा जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के निमित जारी उक्त सम्मन तामिल की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 के निमित जारी सम्मन तामिल हो जाने के बावजूद न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। उक्त परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा (Ex-parte) की कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मय दस्तावेज व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2017 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में बैयनामा दिनांक 18.07.2014 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में नियत पेशी दिनांक 09.02.2017 से पूर्व ही पेशी में लेकर ग्राम पंचायत के रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि स्वयं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2015 प्रस्तुत कर रिकार्ड के अवलोकन पश्चात् निर्णय करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2017 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा होना व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की अपील स्वीकार हो जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने के संबंध में उल्लेख किया है, जबकि सरपंच, ग्राम पंचायत मानकसर के अनुसार ऐसा कोई राजीनामा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य नहीं हुआ। उक्त प्रकरण में सरपंच ग्रा.पं. ने अपने स्वयं के अधिवक्ता व अन्य के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दर्ज करवाई हुई है, जिसका प्रकरण अभी भी जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2017 को आधार बनाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो गलत है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2017 निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत माणकसर का आदेश दिनांक 20.08.2014 यथावत रखा जाता है।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

FOR COPYING FEES ONLY